

राजस्व आवेदन अनुवृत्ति - पत्र

मामला क्रमांक/202506170400006/अ-62/2024-25

1	2	3
07.07.2025	प्रकरण समक्ष में प्रस्तुत। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल नारायणपुर एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन का सुक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि “ आवेदिका श्रीमती बेलासबाई पति श्री लच्छूराम निवासी ग्राम गरांजी पटवारी हल्का क्रमांक 16 राजस्व निरीक्षक मण्डल नारायणपुर, तहसील व जिला नारायणपुर में भूमि खसरा क्रमांक 46/3 रकबा 0.648 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति चाही गई है। उक्त आवेदित भूमि पर वृक्षों को काटने की अनुमति के संबंध में राजस्व विभाग व वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण उपरांत पाया गया कि आवेदित भूमि पर परिपक्व वृक्ष उपलब्ध नहीं है।” अतएव आवेदक द्वारा आवेदित भूमि पर परिपक्व वृक्ष नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज कर प्रकरण नस्तीबद्ध हो तथा रिकार्ड रुम दाखिल हो।  अनुविभागीय अधिकारी(रा0) अनुभाग नारायणपुर जिला नारायणपुर	